माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1839 / 01 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक : 28 - 2 - 25

सेवा में,

01. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अन्तर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–465 / सत्तर–3–2025, दिनांक : 24 फरवरी, 2025 एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– I / 880454 / 2025, दिनांक : 24 फरवरी, 2025 के साथ संलग्न अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–15 / 1 / 2023–पब्लिक, दिनांक : 22 जनवरी, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अन्तर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देश के क्रम में महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अन्तर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन किये जाने सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
02. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
03. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

उपकुलसचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या-465 /सत्तर-3-2025

प्रेषक,

एस०पी०मिश्र,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सचिव, उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।
3. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4. उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।
5. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक २५ फरवरी, 2025**

विषयः भारतीय झंडा संहिता, 2002, (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अन्तर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-I/880454/2025, दिनांक 17.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-15/1/2023-पब्लिक, दिनांक 22.01.2025 के साथ भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
Surya Prakash Mishra
Date: 24-02-2025 14:22:56
(एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
अपर मुख्य सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक,
सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

सामान्य प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक- 17 फरवरी ,2025

विषयः- भारतीय झंडा संहिता 2002 में (2021 एवं 2022 में यथाशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम , 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-15/41/2023-पब्लिक दिनांक 22 जनवरी, 2025 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए भारतीय झंडा संहिता, 2002, (2021 एवं 2022 में यथाशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2025 की संलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Jitendra Kumar
Date: 14-02-2025 14:03:33

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 22 जनवरी, 2025

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरवअपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में-

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम म से वृहद प्रचार किया जाए।

संलग्नक –यथोपरि

भवदीय,

(देबोब्रोतो बासु)
अवर सचिव, भारत सरकार
☎011-23092421

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप- राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

6/09/23

(देबोब्रोतो बासु)
अवर सचिव, भारत सरकार
☎011-23092421

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर ओर निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या **मशीन** द्वारा निर्मित, सूती/**पॉलिएस्टर**/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।

(ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।

(ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

(xi) **"जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"**

(घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौडाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

(ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

(छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति. उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नही लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।